उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-39/2024/आई/811454/2024/फा0नं0-10-22099/563/2020

लखनऊ: दिनांक 02 दिसम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या-13/2015/सा-3-631/दस-2015-944/88, दिनांक 24 जून, 2015 द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर को प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पेंशनर दिवस आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के सम्बन्ध में पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 2024 के दिसम्बर माह की 17वीं तिथि को प्रत्येक जनपद में आयोजित होने वाले पेंशनर्स दिवस में जनपद के जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पेंशनर दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता या तो स्वयं करें या उनके द्वारा अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु नामित किया जाय। इसके साथ ही, यह भी अपेक्षित है कि जिलाधिकारियों के स्तर से जनपद स्थित समस्त कार्यालयाध्यक्षों को यह निर्देश दे दिये जायें कि पेंशनर दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहें एवं पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3- उपर्युक्त निर्धारित पेंशनर दिवस की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार निदेशक, पेंशन, निदेशक, कोषागार एवं जनपद के कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा, ताकि पेंशनर दिवस प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से आयोजित हो सके।

राजेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) प्रदेश के समस्त पेंशनर संगठन।

आज्ञा से,
राहुल कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in